



**कार्यालय-प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन गौला हल्द्वानी,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग-हल्द्वानी(नैनीताल)।**

निकट-आदित्य बैकट हॉल, गैस गोदाम रोड कुसुमखेड़ा हल्द्वानी(नैनीताल) e-mail : ukhld@yahoo.in

पत्रांक-

/ निविदा/श्रमिक कल्याण ,

दिनांक-

ऊँनी कम्बल व सूती गमछा की आपूर्ति हेतु आमन्त्रित निविदा की संशोधित शर्तें एवं कार्य विवरण

इस कार्यालय की पत्र संख्या-1610/निविदा/श्रमिक कल्याण, दि०-16-12-2025 द्वारा इच्छुक विक्रेताओं से उत्तराखण्ड वन विकास निगम (कु०क्षे०) हल्द्वानी के अन्तर्गत प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, गौला एवं नन्धौर खनन प्रभागों के अन्तर्गत उपखनिज चुगान कार्यों में कार्यरत श्रमिकों हेतु जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास निधि से प्राप्त धनराशि से निम्नानुसार **ऊँनी कम्बल व सूती गमछे** क्रय किये जाने हैं, जिसके लिए निर्धारित निविदा फार्म में दिनांक-**23-12-2025** के अपराह्न 01.00 बजे तक सील बन्द निविदा पंजीकृत / स्पीड पोस्ट / कोरियर डाक द्वारा आमन्त्रित की गई हैं, जो उसी दिन अपराह्न 02.00 बजे इस कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं / प्रतिनिधियों के समक्ष क्षेत्रीय प्रबन्धक(कु०क्षे०) उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी द्वारा गठित समिति / प्रतिनिधि द्वारा खोली जायेगी। निर्धारित तिथि को अवकाश होने अथवा अपरिहार्य कारणों से निविदाएं अगले कार्य दिवस में निर्धारित समय पर खोली जायेगी। निविदा फार्म एवं शर्तें दिनांक-**22-12-2025** तक किसी भी कार्य दिवस में निर्धारित शुल्क रु०-4,000.00 + जी०एस०टी० जमा कर इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं। निविदा शर्तें उत्तराखण्ड वन विकास निगम की वेबसाईट <http://www.uafdc.in/tenders.html> से डाउनलोड किये जा सकते हैं। सामग्री का विवरण तथा निविदा शर्तें निम्नवत् हैं :-

(क) आपूर्ति किये जाने वाले सामग्री का विवरण एवं अनुमानित प्रस्तावित मात्रा

क्र०सं०	सामग्री का नाम	न्यूनतम साईज	न्यूनतम वजन (किलो में)	अनुमानित आपूर्ति मात्रा	जमानत राशि (रु०)
1.	ऊँनी कम्बल	2.40 X 1.50	2.400	5,000 से 8,000 (लग)	1,50,000.00
2.	सूती गमछा	1.40 X 0.70	-		24,000.00

नोट:- उपरोक्त अनुमानित दर्शाई गई मात्रा में कमी / वृद्धि सम्भावित है।

- (ख) **निविदा प्रेषण हेतु पता :-** प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी
निकट-आदित्य बैकट हॉल, गैस गोदाम रोड कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी
जिला- नैनीताल (उत्तराखण्ड) पिन-263139
- (ग) **अर्नस्टमनी (निविदा प्रतिभूति) :-** निविदा प्रपत्र के साथ उपरोक्तानुसार निविदा प्रतिभूति ऊँनी कम्बल हेतु रु०-1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार) मात्र तथा सूती गमछे हेतु रु०-24,000.00 (चौबीस हजार) मात्र की वाणिज्यिक बैंक से निर्गत पृथक-पृथक एफ०डी०आर०/ एस०टी०डी०आर०/सी०डी०आर०, जो कि प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी के पदनाम बंधक हो, संलग्न किया जाना अनिवार्य है। एफ०डी०आर०/ एस०टी०डी०आर०/सी०डी०आर० की वैधता अवधि कम से कम 45 दिन होनी अनिवार्य है।
- (घ) **कार्यपूति प्रतिभूति धनराशि -** सफल निविदादाता को ऊँनी कम्बल हेतु धनराशि रु०-4,50,000.00 (चार लाख पचास हजार) तथा सूती गमछा हेतु रु०-64,000.00 (चौसठ हजार) मात्र कार्य प्रतिभूति (धरोहर) धनराशि के रूप में जमा करनी होगी। कार्य प्रतिभूति (धरोहर) एफ०डी०आर०/ एस०टी०डी०आर०/सी०डी०आर० जो वाणिज्यिक बैंक से निर्गत प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी के पदनाम बंधक हो, जमा करना अनिवार्य होगा। कार्यपूति प्रतिभूति(धरोहर) की एफ०डी०आर०/ एस०टी०डी०आर०/सी०डी०आर० की वैधता अवधि 60 दिन होनी अनिवार्य है।
- (ङ.) एम०एस०एम०ई० में पंजीकृत निविदादाताओं हेतु अधिप्राप्ति नियमावली 2025 के नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- (च) **निविदा हेतु सामान्य शर्तें :-**
1. निविदा सील बन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जायेगी।
 2. निविदा फार्म में किसी प्रकार का उपरिलेखन (ओवर राईटिंग) एवं कांट-छांट (कटिंग) मान्य नहीं होगी।
 3. निविदा निर्धारित फार्म में ही प्रस्तुत की जानी अनिवार्य है।

4. निविदादाता को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सील बन्द लिफाफे में डालकर मूल लिफाफे के अन्दर ही रखकर प्रेषित करनी होगी। वित्तीय निविदा कार्यालय द्वारा जारी निर्धारित फार्म में ही मान्य होगी। वित्तीय लिफाफे के ऊपर “ऊँनी कम्बल व सूती गमछा की आपूर्ति हेतु वित्तीय निविदा” तथा तकनीकी लिफाफे के ऊपर “ऊँनी कम्बल व सूती गमछा की आपूर्ति हेतु तकनीकी निविदा” अंकित करना अनिवार्य है।
5. निविदा फार्म एवं शर्तें रु0-4,000.00 + जी0एस0टी0 भुगतान करने पर किसी भी कार्य दिवस में प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
6. निविदा केवल पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / कोरियर द्वारा उपरोक्त पते पर इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा फार्म में निर्धारित समय तक प्राप्त होनी अनिवार्य हैं। सामग्री का सैम्पल निविदा खोलने से पूर्व हाथो-हाथ भी कार्यालय में जमा किया जा सकता है। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। निविदादाता को प्रस्तुत निविदा फार्म में पत्र व्यवहार का पूर्ण पता अंकित करना होगा, सिर्फ उसी पते पर पत्राचार किया जायेगा।
7. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेंगी।
8. सफल निविदादाता द्वारा सामग्री की आपूर्ति में विलम्ब होने अथवा सामग्री खराब होने की दशा में सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक द्वारा अर्थदण्ड लगाया जा सकता है, जो कि कार्य प्रतिभूति से समायोजित किया जा सकेगा एवं सफल निविदादाता को मान्य होगा।
9. विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक में किसी विलम्ब / गड़बड़ी के लिए वन विकास निगम उत्तरदायी नहीं होगा और ना ही कोई दावा स्वीकार किया जायेगा।
10. निविदा के साथ वांछित प्रमाण पत्रों, आयकर (PAN), जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र आदि जो कि स्वप्रमाणित हो संलग्न करना अनिवार्य है। भविष्य में इन अभिलेखों के मूल पत्रों के अवलोकन हेतु वन विकास निगम द्वारा माँगे जाने पर निविदादाता द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. निविदा के साथ जमानत हेतु वांछित धनराशि की एफ0डी0आर0/एस0टी0डी0आर0/सी0डी0आर0 वाणिज्यिक बैंक से निर्गत जो कि “प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी” के पदनाम बन्धक हो संलग्न किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा प्रथम दृष्टया अस्वीकृत कर दी जायेगी।
12. निविदादाता को कार्यपूर्ति प्रतिभूति (धरोहर) धनराशि कार्य पूर्ण होने के पश्चात आवेदन करने पर वापस की जायेगी।
13. प्राप्त निविदाओं की स्वीकृति आदि की कार्यवाही हेतु सक्षम प्राधिकारियों को प्रेषित किया जायेगा। तदनुसार स्वीकृत दरें सम्बन्धित निविदादाता को मान्य होगी, जो प्राप्त निविदा दर से कम / बराबर होगी। प्राप्त स्वीकृत दरों पर कोई प्रत्यावेदन मान्य नहीं होगा।
14. उपरोक्त आवश्यकता की मात्रा अनुमानित है। जिसमें कमी / वृद्धि संभावित है। तत्कालिक वास्तविक आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति आदेश जारी किया जाएगा। बिल प्राप्त होने के पश्चात ही भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
15. निविदा में जी0एस0टी0 का उल्लेख न होने पर निविदा दर जी0एस0टी0 सहित मानी जायेगी। निविदा, निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है।
16. सामान्यतः गुणवत्ता अनुकूल होने पर निविदा न्यूनतम निविदा मूल्य के आधार पर स्वीकृत की जायेगी। किन्तु गुणवत्ता के अभाव में न्यूनतम दरों को स्वीकृत करने हेतु वन विकास निगम / समिति बाध्य नहीं होगी। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार/ अस्वीकार करने का अधिकार वन विकास निगम के पास सुरक्षित होगा।
17. निविदादाता द्वारा, निविदा में सामग्री की दर एवं जी0एस0टी0 का स्पष्ट एवं अलग-अलग उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अलग से किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा। निविदादाता की स्वीकृत दरें सम्पूर्ण खनन सत्र 2025-26 के लिये लागू मानी जायेगी। उक्त अवधि में दरों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जायेगी। निविदादाता को भुगतान से पूर्व सम्बन्धित खनन प्रभागों में बिल (Invoice) प्रस्तुत करना होगा। गठित समिति द्वारा सामग्री की गुणवत्ता की जाँच करने के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
18. निविदा प्रक्रिया आंशिक या पूर्ण निरस्त /स्थगित होने पर कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।
19. उपरोक्त सामग्री विवरणानुसार निर्धारित मापदण्ड के अनुसार होना आवश्यक है। सामग्री का सैम्पल (नमूना) भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिना सैम्पल (नमूना) के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

20. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ प्रस्तुत सामग्री के सैम्पल (नमूना) व आपूर्ति की गई सामग्री की गुणवत्ता व उत्पाद निर्माण में भिन्नता के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है व सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक द्वारा पुष्टि किये जाने पर निविदादाता की कार्यपूर्ति प्रतिभूति धनराशि जब करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
21. एक समान न्यूनतम निविदा दर होने पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 के अनुबन्धों अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
22. सफल निविदादाता को पंजीकृत डाक/ व्हाट्सएप/ ई-मेल इत्यादि द्वारा आपूर्ति आदेश की सूचना यथासमय आवश्यकतानुसार दी जायेगी।
23. कार्यदेश / आपूर्ति आदेश के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त सामग्री आपूर्ति करनी होगी, जो कि खनन प्रभागों के निम्नलिखित निकासी गेटों पर आपूर्ति करनी होगी। जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा। स्वीकृत निविदा दरों में किसी भी प्रकार का संशोधन / आपत्ति / प्रत्यावेदन मान्य नहीं होगा।

क्र०सं०	गोला नदी हेतु निकासी स्थल	क्र०सं०	नन्चौर-कैलाश नदी हेतु निकासी स्थल
1	शीशमहल	1	कड़ापानी प्रथम
2	राजपुरा	2	नन्चौर द्वितीय
3	इन्द्रानगर	3	कड़ापानी
4	आँवलाचौकी	4	एम०बी०आर० प्रथम
5	गोरापड़ाव	5	एम०बी०आर०
6	मोटाहल्दू	6	उकरोली
7	बेरीपड़ाव		
8	हल्दूचौड़		
9	देवरामपुर		
10	लालकुँआ		
11	शान्तिपुरी		

24. विलम्ब / निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप आपूर्ति न करने पर विलम्ब शुल्क आरोपित किया जा सकता है तथा जमानत जब कर आपूर्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा। कार्यदेश / आपूर्ति आदेश जारी होने की निर्धारित तिथि के अन्तर्गत सामग्री आपूर्ति न किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक को अधिकार होगा कि कार्यपूर्ति प्रतिभूति धनराशि को जब करते हुए नियमानुसार क्रमशः द्वितीयक एवं तृतीयक निविदादाता से कार्य कराये जाने हेतु स्वतन्त्र होगा।
25. निविदादाता के भुगतान के समय लागू आयकर व जी०एस०टी० की नियमानुसार स्रोत पर कटौती की जायेगी।
26. निविदादाता द्वारा जारी टैक्स इनवाइस की जी०एस०टी० रिटर्न निर्धारित समय से फाईल की जायेगी। यदि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा भुगतान की गई जी०एस०टी० की धनराशि जी०एस०टी० पोर्टल पर GSTR 2A में प्रदर्शित नहीं हुई, जिस कारण भुगतान की गई जी०एस०टी० का ITC Claim नहीं मिला तो उसकी वसूली निविदादाता के आगामी भुगतान से कर ली जायेगी अथवा कार्यपूर्ति प्रतिभूति से की जायेगी।
27. भुगतान में नियमानुसार स्रोत पर आयकर एवं जी०एस०टी० (टी०डी०एस०) की धनराशि की कटौती की जाएगी। जिसे नियमानुसार राजकोष में जमा किया जायेगा।
28. निविदा आंशिक या पूर्ण रूपेण किसी स्तर पर निरस्त / स्थगित होने की दशा में कोई क्लेम / प्रत्यावेदन मान्य नहीं होगा।
29. सफल निविदादाता को कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सम्बन्धित विभाग / अधिकारी / गेट अनुभाग अधिकारी से सन्तोषजनक कार्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही कार्यपूर्ति प्रतिभूति वापस की जायेगी।
30. किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद होने की स्थिति में विधिक कार्य क्षेत्र (Legal jurisdiction) हल्द्वानी, नैनीताल जनपद में होगा।

31. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में क्षेत्रीय प्रबन्धक(कु0400), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी आर्बीट्रेटर होंगे तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
32. उपरोक्त शर्तों में किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर शर्त निरस्त करने अथवा संशोधित / परिवर्तित करने एवं नवीन शर्तों को शामिल करने का पूर्णाधिकार प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी के पास सुरक्षित रहेगा।
33. उपरोक्तानुसार समस्त शर्तों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं शिथिलता पाये जाने अथवा उल्लंघन करने पर निविदादाता स्वयं उत्तरदायी रहेगा। जिस हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्न- वित्तीय निविदा फार्म

(वीरेश चन्द्र बिष्ट)

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी